(b) if so, the actions taken against IAS officers for taking dowry; and

(c) the rules of Government to ensure that IAS officers do not violate the Anti Dowry Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHR P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) While Government has no definite information about IAS officers receiving high rate of dowry, a group of women has complained to the Minister of State that a number of probationers have been offered or have received dowry. One complaint has also been received from the wife of an IAS probationer, which is being inquired into.

(c) The Conduct rules governing the IAS officers prohibit taking or giving of dowry. Any member of the service violating this rule is liable to disciplinary action. Further, the probationers are now required to give an undertaking that they will not give or take dowry at the time of their marriage.

समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति

646. **श्री मिर्जा इर्शादबेग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान समुद्र-विज्ञान के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है तथा इसके विकास के संबंध में भावी योजना क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर, विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान समुद्र-विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रमुख प्रयास किए गए हैं, वे ये है : महासागर विकास के लिए नीति निर्माण, विभिन्न प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थाओं, प्रौद्योगिकी सस्थानों में समुद्री विज्ञानो में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन और उसका समन्वयन, आर्थिक क्षेत्र के सर्वेक्षण, मानाचत्रण और चित्रण, मछली संपदा की पहचान और मूल्यांकन, अंटार्कटिका अनुसंधान, बहुधात्विक पिडकाओं के लिए गहरे समुद्र तल का सर्वेक्षण और खोज, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग; समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान पोतो की प्राप्ति और अपेक्षित जनशक्ति का विकास । इनमें प्रमुख महत्व के क्षेत्र शामिल है ।

पिछले दो वर्षों के दौरान इन सभी कार्यक्रमों मे यथष्ठ प्रगति की गई है । बहुधात्विक पिडिकाओ के विस्तृत सर्वेक्षण और खोज परिणामस्वरूप भारत विश्व का प्रथम देश है जिसे मध्य हिन्द महासागर में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक खान स्थल आवंटित किया गया है । पिछले दो वर्षों के दौरान अंटार्कटिका को दो अभियान (पांचवा तथा छठा) भेजे गए हैं जो बहुत सफल र है । इन कार्यक्रमों ने देश की प्रतिष्ठा और कीर्ती को विश्व मे यथेष्ठ रूप से बढाया है ।

उपर्युक्त सभी परियोजनाओं में कार्यकलापों को तीव्र करने की विभाग की योजना है ।

द्वारका में खोज कार्य

647. **श्री मोर्जा इर्शादबेग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात स्थित द्वारका नगर के संबंध मे क्या-क्या नई खोज हुई हैं और इस संबंध में क्या-क्या विशेष सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ख) इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन): (क) बेट द्वारका के पास जलमग्न कच्छ

की खाड़ी में बेट द्वारका (शंको रा) और द्वारका के अपतटीय समुद्री उत्खनन मे किलेबंदी दीवारों के अवशेष, शैल की ढलान (स्लिपवेज) जो संभवत: नाव उतारने के लिए होते हैं का पता चला है। द्वारका के निकट सागर देवमंदिर के समुद्र की ओर एक पत्थर का घाट और एक मंदिर के अवशेष जलमग्न पाए गए। कास्य युग के दो पथरीले लंगर, एक इंडस प्रकार की मुद्रा, एक उत्कीर्णित जार, ठठेरा (ताम्रकार) का पत्थर का साचा, लोहे और सीपी पदार्थ, और पश्च-हड़प्पन बर्तन अन्य खोजों मे है।

स्तरण, चीनी मिट्टी और लेख प्रमाणो से प्रतीत होता है कि द्वारका और बेट द्वारिका ईसापूर्व 14वीं शताब्दी के आस पास पानी में डूबा था।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत यह कार्य मार्च, 1989 तक चलेगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित मामले

648. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने मामले पाच वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं ; और

(ख) सरकार इन लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तारीख 30-6-1986 की न्यायालय के समक्ष 5 से अधिक वर्षों से लंबित मामलों की संख्या 79595 है।

(ख) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

लंबित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम।

उच्च न्यायालयो में लंबित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षो मे निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

1. मुख्य न्याय मूर्तियो, राज्य मुख्य मंत्रियो और विधि मंत्रियों के 31 अगस्त से 1 सितम्बर, 1985 तक हुए सम्मेलन में सभी न्यायालयों में बकाया मामलों के निपटारे के विषय मे विचार-विमर्श हो गया है और सम्मेलन के संकल्प उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को भेजे गए है।

2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील के रूप में लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सन 1976 मे सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया था (देखिए धारा 100क)।

3. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई थी।

4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे 1 फरवरी, 1987 को बढ़ाकर 440 कर दिया गया है।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्न-लिखित उपाय कर रहे है:-

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं ;